13/7/17 बमुकाम :- कैम्प कोर्ट बिसलपुर दिनांक 13/7/17 को पत्रावली पेश। पत्रावली वास्ते धारा 212 राज.का. अधिनियम 1955 वास्ते बहस लम्बित है। विवादित खसरो से संबंधित वाद सं. 10/16 अम्बालाल बनाम किशोरीलाल दिनांक 15.1.85 से लम्बित है। एवं किशोरीलाल के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना O.22 R.4 CPC दिनांक 19/5/16 से पेश है। परन्तु कायम मुकाम की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। अस्त प्रार्थनापत्र दिनांक 29/7/16 को दायर किया गया है एवं

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सत्यमेव जयते जोधपुर

Scanned by CamScanner

मे जारी हुए

एवं अभी तक वाद सं. 10/16 नवीन मुकदमा सं. मे प्रार्थीगणों को रिकार्ड पर नही लिया गया है। परंतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बार-बार वाद के तथ्यों का उल्लेख हुआ है। परंतु चूंकि प्रार्थीगण अभी तक विवादित वाद मे पक्षकारान नही बने है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रथमदृष्टया खारिज किया जाता है। मूल वाद मे प्रार्थीगणों के पक्षकारान बन जाने के पश्चात यदि प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र लगाया जाता है तो प्रार्थना पत्र पर तत्समय की स्थितियों को देखते हुए न्यायिक दृष्टि से विचार किया जाएगा। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से ... हो कर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner